<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील डिक्री/टी.ए./5403/2004/नागौर
दलाराम बनाम रामेदव</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>18-12-2024</td><td>
<u>खण्ड–पीठ</u>
श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

<u>उपस्थितिः</u>
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री डूंगर सिंह राठौड, अधिवक्ता प्रत्यर्थी
––––

निर्णय

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 163/2003 में पारित निर्णय दिनांक 27–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0–1/वादी रामदेव ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आरटीएक्ट जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 2/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध विद्वान सहायक कलक्टर, डीडवाना के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम सींवा तहसील लाडनू जिला नागौर में अवस्थित आराजी खसरा नं0 646 रकबा 35 बीघा 5 बिस्वा में वादी के अलावा किसी का हक अधिकार नहीं है। दिनांक 19–9–96 को प्रतिवादी सं0 2 ने किसी लिखत या बेचान की आड़ में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। अतः उक्त आराजी बाबत प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। राज्य सरकार के आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी लाडनू का न्यायालय नवसृजित होने से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना से उपखण्ड अधिकारी, लाडनू स्थानांतरित किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी कानाराम द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी दलाराम को कई अवसर दिये जाने के बाद भी उसने जवाब पेश नहीं किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11–12–2002 से दावा वादी डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी दलाराम ने विद्वान अपीलीय न्यायालय
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी.ए./5403/2004/नागौर** **दलाराम बनाम रामेदव**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह अपील दिनांक 04-9-2003 मय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27-10-2004 द्वारा अपील स्पष्टत मियाद बाहर होने से खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27-10-2004 से व्यथित होकर अपीलार्थी दलाराम ने निगरानी 5403/2003 इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। जिसे मण्डल के आदेश 04-8-2016 द्वारा नियमों को ध्यान में रखते हुए निगरानी को अपील में परिवर्तित किये जाने के आदेश दिये गये है। 3- योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 4- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील मियाद बाहर मानकर अस्वीकार किये जाने में अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है क्योंकि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 11-12-2002 के विरूद्ध अपील दिनांक 04-9-2003 को प्रस्तुत की थी। अपील के साथ अपीलार्थी ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया कि प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27-10-2004 पारित करते समय परीक्षण न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन नहीं किया, जब उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना से उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के न्यायालय में पत्रावली स्थानांतरित की गई तो इसकी सूचना पक्षकारान को नहीं दी गई। उक्त सूचना के अभाव को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, लाडनू ने जो एकपक्षीय डिक्री दिनांक 11-12-2002 पारित की है, वह विधिक नही होने से उसे निरस्त किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय करने के लिए उन्हें प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी दलाराम द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु आक्षेपित निर्णय दिनांक 27-10-2004 द्वारा अपीलार्थी की अपील को मियाद में नहीं मानकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी.ए./5403/2004/नागौर** **दलाराम बनाम रामेदव**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी-प्रतिवादी के दोष को दर्शाते हुए अपीलार्थी की अपील को मियाद बाहर मानने में विधिक त्रुटि की है। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-10-2004 अविधिक रूप से पारित किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उनका निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-10-2004 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद में शुमार करते हुए विद्वान अपीलीय न्यायालय को अपील गुणावगुण पर निर्णय करने के लिए वापिस भिजवाई जावे। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने विकल्प में यह भी कथन किया कि चूंकि उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं ने वाद निर्णित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया व प्रार्थी को बिना सुने वादी का वाद डिक्री कर दिया है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं का निर्णय व डिक्री दिनांक 11-12-2002 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं के यहां अपीलार्थी/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय हेतु भिजवाया जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2008 (1) डी0एन0जे0 (राज.) पेज 213, 1995 आर0आर0डी0 पेज 338, 1998 आर0आर0डी0 पेज 319, 2006 (13) आर0बी0जे0 पेज 127 तथा 2008 ए0आई0आर0 (एस. सी.) पेज 2054 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। 5- इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी को जवाब पेश करने लिए बार-बार अंतिम एवं कोस्ट पर भी अवसर दिये गये हैं। प्रतिवादी कानाराम द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने तथा अन्य प्रतिवादी का इकबाली जवाबदावा को ध्यान में रखते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-12-2002 पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, लाडनू का न्यायालय बनाये जाने की सूचना सभी पक्षकारान को थी, अतः प्रतिवादी का यह कथन निराधार है कि उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना से उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के न्यायालय में पत्रावली स्थानांतरित होने की उन्हें सूचना नहीं थी। अपीलीय न्यायालय के समक्ष परीक्षण न्यायालय के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी.ए./5403/2004/नागौर** **दलाराम बनाम रामेदव**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय एवं डिक्री 11-12-2002 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 04-9-2003 को लगभग 8 माह बाद पेश की गई जो कि स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश की है। अतः अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27-10-2004 द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलीय न्यायालय ने विधिक रूप से निर्णय एवं आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। 6- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों से मागदर्शन प्राप्त किया गया। 7- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सर्वप्रथम वादी/प्रत्यर्थी सं0-1 रामदेव द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष वाद पेश किया गया था। राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में नवसृजित उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के न्यायालय में वाद स्थांनातरित किया गया। उपखड अधिकारी, लाडनू के न्यायालय में दिनांक 31-5-2002 को पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया है। 8- अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 11-12-2002 के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में दिनांक 04-08-2003 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थी ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने के 5-7 रोज पहले ही उसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं द्वारा प्रकरण में संशोधित आदेश दिनांक 29-7-2003 पारित किया गया था। उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही अपीलार्थी द्वारा पूर्व में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-12-2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए परीक्षण न्यायालय के समक्ष आवेदन दिनांक 01-9-2003 को पेश किया तथा उसी दिन नकल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी.ए./5403/2004/नागौर** **दलाराम बनाम रामेदव**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दिनांक 04-9-2003 मय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के पेश की गई है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र पर कतई विचार नहीं किया जबकि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिस प्रकार वाद को एकपक्षीय निर्णित किया गया है, को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 के विलम्ब को क्षम्य किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण निर्णय किया जाना चाहिए था। 9- प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए हमारा यह विनम्र मत है कि केवल तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित नहीं है। पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य हैं। 10- परिणामतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-10-2004 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद में शुमार करते हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे एवं उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए अपील का गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **(आर0डी0मीणा)** **सदस्य** **सदस्य**	